रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2015/वैशाख 11, 1937
No. 278] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2015/VAISAKHA 11, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2015

सा.का.नि. 349(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3, धारा 4, धारा 5 की उपधारा (5) और उपधारा (6), धारा 6, धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख), धारा 12 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) तथा धारा 13 की उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के परन्तुक, धारा 14 की उपधारा (2), धारा 17 की उपधारा (1) और धारा 20 की उपधारा (1) और उपधारा (2) का प्रयोग करते हुए कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में -

(क) नियम 5 का लोप किया जाएगा।

1942 GI/15—1A

(ख) नियम 6 में उपनियम (1) में "पचास लाख रुपए से अधिक हो या संगत अवधि दौरान उसका औसत वार्षिक कारोबार" पद के स्थान पर "पचास लाख रुपए और उससे ब और संगत अवधि के दौरान उसका औसत वार्षिक कारोबार" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) नियम 7 के उपनियम (1) में "समादत्त शेयर पूंजी पचास लाख रुपए या उससे कम या जिसका वार्षिक औसत कारोबार, संगत अवधि के दौरान" पद के स्थान पर "समादत्त शे पूंजी पचास लाख रुपए या उससे कम हो और वार्षिक औसत कारोबार, संगत अवधि के दौरा शब्द रखे जाएंगे;

(घ) नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् -

"7क शास्ति. यदि कोई एकल व्यक्ति कंपनी या ऐसी कंपनी का कोई अधिकारी इन नियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो ऐसी एकल व्यक्ति कंपनी या ऐसी कंपनी का अधिकारी जुर्माने के साथ दंड का पात्र होगा जो पांच हजार रुपए तक हो सकता है और उल्लंघन के जारी रहने के लिए प्रथम अपराध के दिन से प्रतिदिन पांच सौ रुपए तक और जुर्माना लगाया जा सकता है"।

(ङ) नियम 8 के उपनियम (2) के खंड (ख) के उपखंड (xi) के परंतुक में "अधिनियम धारा 248 के अंतर्गत" शब्दों और अंकों के के पश्चात् "या कंपनी अधिनियम, 1956 (19 का 1) की धारा 560 के अंतर्गत" शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(च) नियम 16 के उपनियम (1) के खंड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा -

"(थ) प्रवर्तक या प्रथम निदेशक का स्वप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर और नवीनतम फोटो निर्धारित प्ररूप संख्या आई.एन.सी.-10 में होगा"।

(छ) नियम 35 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"36. **निगमन के लिए एकीकृत प्रक्रिया** - (1) कंपनी के निगमन के लिए प्ररूप भरने सरलीकरण के प्रयोजन के लिए इस नियम के उपबंध एकीकृत प्रक्रिया के संबंध में 1 म 2015 से लागू होंगे।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, एकीकृत प्रक्रिया के प्रयोजनार्थ तीन निदेशकों निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आवंटन के लिए, नाम का आरक्षण, कंपनी के निगम और प्रस्तावित कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति के लिए आवेदन कंपनी (रजिस्ट्रीकर कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथाविनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ दो ह

रुपए के साथ कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थान के क्षेत्राधिकार वाले रजिस्ट्रार के पास एकीकृत **प्ररूप संख्या आईएनसी-29 (एकल व्यक्ति कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और उत्पादक कंपनी के लिए)** के माध्यम से किया जाएगा।

(3) एकीकृत निगमन प्ररूप फाइल करने के प्रयोजनों के लिए अधिकतम तीन निदेशकों की विशिष्टियां आईएनसी-29 में फाइल किए जाएँगे और यदि प्रस्तावित निदेशकों के पास अनुमोदित डीआईएन नहीं है तो आईएनसी-29 में अधिकतम तीन प्रस्तावित निदेशकों को डीआईएन के आवंटन की अनुज्ञा होगी।

(4) प्रस्तावित कंपनी के प्रवर्तक या आवेदक (आवेदकों) को ई-प्ररूप संख्या आईएनसी-29 में मात्र एक नाम का प्रस्ताव करने की अनुज्ञा होगी।

(5) प्रस्तावित कंपनी के प्रवर्तक या आवेदक आईएनसी-30 में दिए नमूने के अनुसार संगम-ज्ञापन तैयार कर सकते हैं और संगम-ज्ञापन और संगम अनुच्छेद तैयार करने के लिए नियम 13 के उपबंधों के अनुसार प्ररूप आईएनसी-31 में संगम अनुच्छेद के नमूने का विकल्प चुन सकते हैं।

(6) प्रवर्तक या आवेदक कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और पठनीय रूप से स्कैन किए गए प्ररूपों में संगम-ज्ञापन और संगम अनुच्छेद पर हस्ताक्षर और साक्षी करेगा और संगम-ज्ञापन और संगम अनुच्छेद तैयार करने के लिए नियम 13 के उपबंधों के अनुसार ई-प्ररूप आईएनसी-29 में संलग्न करेगा।

(7) प्ररूप आईएनसी-29 में निगमन के लिए एकीकृत आवेदन फाइल करने की सुविधा इन नियमों में यथाउपबंधित अनुसार निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) आवंटन, नाम आरक्षण और कंपनी के निगमन के लिए अलग आवेदनों की प्रक्रिया के विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगी।

(8) इस नियमों में उपबंधित अनुसार, निगमन के लिए एकीकृत प्रक्रिया का उपयोग करते हुए कोई आवेदन फाइल करने के लिए अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) के उपखंड (i) और इन नियमों के नियम 9 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(9) इस नियम के उपबंधों का उपयोग करने वाली कोई कंपनी ई-प्ररूप आईएनसी-29 फाइल करके अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का सत्यापन उपलब्ध कराने का विकल्प चुन सकती है, और ऐसे मामले में कंपनी (ऐसे ई-प्ररूप आईएनसी-29 के साथ) नियम 25 के उपनियम 2 में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज संलग्न कर सकती है।

(10) ई-प्ररूप आईएनसी-22 को फाइल करन की अपेक्षा समाप्त कर दी जाएगी यदि प्रस्तावित कंपनी दिए हुए पत्राचार पते पर उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय रखती है।

(11) कंपनी के प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के क्षेत्राधिकार वाला रजिस्ट्रार पहचान संख्या के आवंटन के लिए आवेदन (आवेदनों) सहित आईएनसी-29 पर प्रक्रिया करेगा।

(12)(क) जहां रजिस्ट्रार, ई-प्ररूप आईएनसी-29 की जांच पर, और अधिक सूचना मंगाना आवश्यक समझता है या किसी संबंध में ऐसे आवेदन या दस्तावेज को त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण पाता है तो वह वहां आवेदक को त्रुटि का समाधान करने की सूचना देगा और रजिस्ट्रार द्वारा दी गई ऐसी सूचना की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर ई-प्ररूप पुन: जमा करने के लिए कहेगा।

(ख) दस्तावेज पुन: जमा किए जाने के पश्चात् भी यदि रजिस्ट्रार किसी मामले में दस्तावेज को त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण पाता है तो वह ऐसी त्रुटियों या कमियो को दूर करने के लिए पंद्रह दिन का एक और अवसर प्रदान करेगा।

(ग) यदि रजिस्ट्रार ऐसी दो अवसर देने के बाद भी किन्ही मामलों में दस्तावेज त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण पाता है तो प्रस्तावित ई-कंपनी का ई-प्ररूप आईएनसी-29 अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(13) रजिस्ट्रार द्वारा निगमन सबूत-पत्र प्ररूप संख्या आईएनसी-11 में जारी किया जाएगा।

(ज) उपाबंध में, प्ररूप संख्या आईएनसी-11 में "और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 8" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 18" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएँगे।

(झ) उपाबंध में,-

(क) प्ररूप संख्या आईएनसी-7, आईएनसी-10, आईएनसी-11, आईएनसी-22 के लिए क्रमशः निम्नलिखित 22 रखे जाएंगे, अर्थात् -

प्ररूप सं. आई. एन. सी. 7

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7(1) तथा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 10, 12, 14 एवं 15 के अनुसरण में]

सत्यमेव जयते

कंपनी (एकल व्यक्ति वाली कंपनी से भिन्न) के निगमन के लिए प्ररूप

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिन्दी

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट पढ़ें।

1. * प्ररूप आई. एन. सी.1 का सेवा अनुरोध संख्या (एस. आर एन.)

2. (क) कंपनी का नाम

(ख) कंपनी का प्रकार (ग) कंपनी की श्रेणी

(घ) प्रवर्ग (ड.) उप उपवर्ग

(च) धारा 8 अनुज्ञप्ति संख्या

* (छ) कंपनी o शेयर पूंजी वाली है o बिना शेयर पूंजी वाली है ।

3. (क) राज्य / सघ राज्यक्षेत्र का नाम जिसमें कंपनी को रजिस्ट्रीकृत किया जाना है।

(ख) कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय का नाम जिसमें कंपनी को रजिस्ट्रीकत किया जाना है।

(ग) * क्या पत्राचार के लिए पता कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता होगा।

□ हाँ □ नहीं

(घ) कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थापित होने की तारीख तक पत्राचार के लिए पता

* पंक्ति I

पंक्ति II

* नगर

* राज्य / संघ राज्यक्षेत्र

* जिला [ ] * पिन कोड [ ]

आई. एस. ओ. देश कोड [ ]

देश [ ]

* फोन (एस. टी. डी. / आई. एस डी. कोड के साथ) [ ] [ ]

फैक्स [ ]

* कंपनी का ई-मेल आई. डी. [ ]

4. I* कंपनी की पूंजी संरचना,

(क) कंपनी की प्राधिकृत पूंजी (रु. में.) [ ]

(i) साधारण अंशों के वर्गों की संख्या [ ] साधारण अंशों की कुल संख्या [ ]

साधारण अंश की कुल राशि(रु. में) [ ]

साधारण अंशों की संख्या	प्रति साधारण अंश सांकेतिक राशि	साधारण अंश की कुल राशि

(i) साधारण अंशों के प्रवर्गों की संख्या [ ]

अधिमान अंश की कुल संख्या [ ]

अधिमान अंश की कुल राशि [ ]

साधारण अंशों की संख्या	प्रति साधारण अंश सांकेतिक राशि	साधारण अंश की कुल राशि

(ख) कंपनी की कुल प्रतिभूत पूंजी (रुप. में.) [ ]

(i) साधारण अंशों के प्रवर्गों की संख्या [ ] साधारण अंशों की कुल संख्या [ ]

की कुल (रुपये में)

संख्या	प्रति साधारण अंश सांकेतिक राशि	साधारण अंश की कुल राशि

अंशों के प्रवर्गों की संख्या

की कुल संख्या — अधिमान अंश की कुल राशि (रु.में)

की ब्यौरे

की अधिकतम संख्या की प्रविष्टि करें

कर्मचारियों को छोड़कर सदस्यों की अधिकतम संख्या

की संख्या

कर्मचारी (कर्मचारियों) को छोड़कर सदस्यों की संख्या

उद्देश्यित क्रियाकलाप का मुख्य प्रभाग

का वर्णन

कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45 - झ के अर्थ के भीतर कोई गैर बैंककारी वित्तीय एवं

क्रियाकलाप करेगी। o हाँ o नहीं

तिथि की प्रविष्टि करें जिसको भारतीय रिज़र्व बैंक या अन्य संबंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा इसे

प्रदान किया गया था।

अभिदाता) की संख्या की प्रविष्टि करें

अभिदाता) की विशिष्टियां

निदेशक पहचान संख्या (डिन) या आय-कर स्थायी लेखा संख्या

) या पासपोर्ट संख्या या कारपोरेट पहचान संख्या (सिन)

कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या (एफ. सी. आर. एन.) या कोई

पूर्व - पूरित

ब्यौरे सत्यापित करें

संख्या

* प्रथम नाम

मध्य नाम

* उप नाम

परिवार नाम

* O पिता का नाम O माता का नाम O पति / पत्नी का नाम

* राष्ट्रिकता * जन्म की तारीख

* लिंग (रेडियो बटन) □ पुरुष □ महिला □ ट्रांसजेंडर

* जन्म का स्थान (जिला और राज्य)

* उपजीविका का प्रकार स्व - नियोजित वृत्तिक होम मेकर छात्र नौकरी पेशा

* उपजीविका का क्षेत्र

* शैक्षिक अर्हता

* निकाय का नाम

* आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)

स्थाई पता / रजिस्ट्रीकृत पता / कारोबार का मुख्य स्थान

* पंक्ति I

पंक्ति II

*नगर

* राज्य / संघ राज्यक्षेत्र *पिन कोड

* आई. एस. ओ. देश कोड

देश

* फोन (एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ)

मोबाइल

फैक्स

* ई- मेल आई. डी.

* क्या वर्तमान पता एवं स्थायी पता एक ही है ☐ हाँ ☐ नहीं

वर्तमान पता

* पंक्ति I

पंक्ति II

* नगर

* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र *पिन कोड

* आई. एस. ओ. देश कोड

देश

* फोन (एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ)

मोबाइल

फैक्स

* वर्तमान पता पर रहने की अवधि वर्ष मास

यदि वर्तमान पता पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम हे तो पूर्व आवास का पता

* पहचान का सबूत

* आवासीय सबूत

यदि पहले से कंपनी (कंपनियों) का निदेशक या प्रवर्तक है, तो ऐसी कंपनी (कंपनियों) का ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें (यदि तीन से अधिक कंपनियों में निदेशक या प्रवर्तक है तो वैकल्पिक संलग्नक के रूप में पृथक से पत्रक (शीट) संलग्न करें।

निदेशक .... प्रवर्तक .... सी. आई. एन. ....